

Ref. No. CGTMSE /44/ 294

मार्च March 31, 2023

**सीजीटीएमएसई के सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ (एमएलआई) - सीजीएस ।**

All Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE – CGS I

**परिपत्र संख्या 221 / 2022 – 23 Circular No.221 / 2022 – 23**

महोदया/ प्रिय महोदय Madam / Dear Sir,

**वार्षिक गारंटी शुल्क में कमी Reduction in Annual Guarantee Fee**

कृपया वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) संरचना में संशोधन पर 30 नवंबर, 2022 के हमारे परिपत्र संख्या 208/2022-23 का संदर्भ लें, जिसमें एमएसई को लाभ पहुंचाने के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) को काफी कम किया गया था। एमएसई के लिए ऋण की लागत को और कम करने के लिए, ₹ 1 करोड़ तक के ऋणों के लिए गारंटी शुल्क को कम करने के लिए उपर्युक्त परिपत्र को आंशिक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, संशोधित शुल्क संरचना निम्नानुसार है:

Please refer to our Circular No. 208/2022-23 dated November 30, 2022 on modification in Annual Guarantee Fee (AGF) Structure wherein the AGF was substantially reduced to benefit the MSEs. In order to further bring down the cost of credit for MSEs, it has been decided to partially modify the above mentioned Circular to reduce the guarantee fee for loans upto ₹ 1 crore. Accordingly, the revised fee structure is as under:

| स्लैब Slab    | संशोधित मानक दर (प्रति वर्ष)<br>)Revised Standard Rate (pa) |
|---------------|---|
| 0-10 लाख lakh | 0.37  |



|   |      |
|---|------|
| 10 लाख से 50 लाख तक Above 10 lakh upto 50 lakh        | 0.55 |
| 50 लाख से अधिक 1 करोड़ तक Above 50 lakh upto 1 crore  | 0.60 |
| 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक Above 1 crore upto 2 crore | 1.20 |
| 2 करोड़ से अधिक 5 करोड़ तक Above 2 crore upto 5 crore | 1.35 |

30 नवंबर, 2022 के परिपत्र में निर्दिष्ट अन्य सभी दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

All other guidelines as specified in the circular dated November 30, 2022 shall remain unchanged.

उपर्युक्त संशोधित शुल्क संरचना 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद अनुमोदित /नवीनीकृत सभी गारंटियों पर लागू होगी, जिसमें गारंटी योजना के तहत पहले से शामिल मौजूदा कार्यशील पूंजी खाते में वृद्धि भी शामिल है।

The above revised fee structure shall be applicable to all the guarantees approved/ renewed on or after April 01, 2023 including enhancement in existing working capital account already covered under Guarantee Scheme.

कृपया अपने सभी कार्यालयों को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत कराएँ।

The contents of this circular may please be brought to the notice of all your offices.

भवदीय/Yours faithfully,

ह/Sd/-

( धीरज कुमार Dhiraj Kumar)

सहायक महाप्रबंधक

Asst General Manager